

14/12/17
ए.सी.इ.एम. (FT) जोधपुर को पेश हो।
दिनांक 12/11/17

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (जास्ट ट्रेक)
जोधपुर

14/12/17 पत्रावली वेम हुई/पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हों/दोरे पर
1. हीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक
12/12/17 को पेश हो।

15/12/17 प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी
उपस्थित/अनुपस्थित प्रकरण को लोक अदालत/
कैम्प कोर्ट में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत
है अतः प्रकरण को लोक अदालत में रैफर किया
जाता है पक्षकारान दिनांक 09/12/17 को
कैम्प कोर्ट/लोक अदालत सपक्ष उपस्थित रहें।

ए.सी.इ.एम. (FT)
जोधपुर

20/12/17 पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित/वकील प्रार्थी,
अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित/पत्रावली लोक
अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुयी पक्षकारान में
समझौता की गयी परन्तु राजीनामा नही हुआ
अतः प्रकरण स्थित न्यायालय में वापिस
लौटाये जावें। पक्षकारान न्यायालय में
दिनांक 17/12/17 को उपस्थित रहें।

पीठासीन अधिकारी
ए.सी.इ.एम. (FT) जोधपुर

17/12/17 पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर हीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 12/12/17 को पेश हो।

12/12/17 - पत्रावली चेका। वादी मुपस्थित। वादी वकील
अनुपस्थित। न्यायालय समय में अलग - अलग

समय तादी पर से आवेजें लगती जाती। तादी पर
 एवं उतिवादी की तरह से कोई अधिक नहीं। जब
 चुकि - आघातक आ लगत समाप्त होमेवा था
 है। - आघातक के पुनः एक बार आवेजें लगती।
 कोई अधिक नहीं। अतः पत्रावली वादी पर
 की जायत एतरी - अथवा - केवी में रखी
 की जाती है। पत्रावली गुमर फंक्शन होअ
 रफ्त से इस लेकर शामिल दफ्तर हो।

आवेजें लगीं पर अधिक के
 आवेजें लगीं पर अधिक के
 आवेजें लगीं पर अधिक के
 आवेजें लगीं पर अधिक के
 आवेजें लगीं पर अधिक के